प्रेस नोट दिनांक 29.06.2026 जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट दिनांक : 29.06.2026
थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा पुलिस की प्रभावी कार्यवाही, नकबजनी एवं मारपीट के अभियोग का सफल अनावरण, 01 अभियुक्त रविकांत कौशल गिरफ्तार तथा 02 अभियुक्त इससे पहले गिरफ्तार हो चुके है-

घर में घुसकर चोरी एवं विरोध करने पर मारपीट करने वाले 01 अभियुक्त रविकांत कौशल थाना कुण्डा पुलिस के हत्थे चढ़े, चोरी का माल एवं नकदी बरामद।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिव नारायण वैस के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में थाना कुण्डा पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 26.06.2026 को थाना कुण्डा पर मु0अ0सं0 223/2026, धारा 331(8), 305, 115(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। प्राप्त तहरीर के अनुसार दिनांक 26.06.2026 की रात्रि लगभग 02:00 बजे अज्ञात व्यक्ति वादिनी के घर में छत के रास्ते प्रवेश कर चोरी करने की नीयत से घुस गए। घर के कमरे की चाबी मांगने पर विरोध करने पर आरोपियों द्वारा लाठी-डंडे से मारपीट की गई, जिससे रामलखन गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके उपरांत आरोपी घर से सामान चोरी कर फरार हो गए।

विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन एवं सुरागरसी के आधार पर घटना का सफल अनावरण करते हुए थाना कुण्डा पुलिस ने 01 अभियुक्त रविकांत कौशल पुत्र शीतला प्रसाद कौशल निवासी बाबूगंज बाजार मजरा मझिलगांव थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 53 वर्ष को गिरफ्तार किया।

इससे पहले गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर 42 ग्राम गलाई हुई सफेद धातु का चपटीनुमा टुकड़ा, लगभग 02 ग्राम सफेद धातु की पायल का टुकड़ा, ₹5,500/- नकद तथा 01 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किया गया था । बरामदगी एवं विवेचना में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) एवं 109(1) बीएनएस की बढ़ोत्तरी करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. रविकांत कौशल पुत्र शीतला प्रसाद कौशल निवासी बाबूगंज बाजार मजरा मझिलगांव थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 53 वर्ष ।

इससे पहले गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
01. कमलेश कुमार द्विवेदी उर्फ कमलेश दुबे पुत्र स्व. अखिलानन्द द्विवेदी, निवासी ग्राम बंतरी मजरा रैयापुर, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़, उम्र लगभग 55 वर्ष।
02. शुभम द्विवेदी उर्फ बमबम पुत्र कमलेश द्विवेदी, निवासी ग्राम बंतरी मजरा रैयापुर, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़, उम्र लगभग 28 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
निरीक्षक संजय कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 गोबिंद सिंह चौहान, उ0नि0 गंगाचरण प्रजापति, रि0का0 विनय मिश्रा, रि0का0 विवेक गौतम, म0का0 श्वेता राय, म0का0 अनुराधा सिंह थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

स्वाट टीम- उ0नि0 अमित कुमार चौरसिया, उ0नि0 दिनेश सिंह, मुख्य आरक्षी धनंजय राय, मुख्य आरक्षी महेंद्र प्रताप, आरक्षी जागीर सिंह, आरक्षी अरविंद दुबे, आरक्षी आशुतोष पांडेय, आरक्षी सलमान, आरक्षी सचिन कुमार।

सर्विलांस टीम- उ0नि0 अजीत सिंह।

प्रेस नोट दिनांक 29.06.2026
थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना लीलापुर के उ0नि0 सौरभ यादव मय हमराह का कुन्दन शर्मा द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर अ०मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय कक्ष सं0 13 महोदय द्वारा जारी केशन० 3376/2021,मु0अ0सं0 18/2005 धारा 323/325/504 भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 वारंटी अभियुक्त धर्मेन्द्र पाण्डा पुत्र रामखेलावन उम्र 50 वर्ष नि0 बासुपुर पौडिया थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. धर्मेन्द्र पाण्डा पुत्र रामखेलावन उम्र 50 वर्ष नि0 बासुपुर पौडिया थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 सौरभ यादव मय हमराह का कुन्दन शर्मा थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 29.06.2026
थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना कोतवाली देहात के उ0नि0 इन्देश कुमार मय हमराह रि0का0 चन्दन कुमार व का0 अख्तर अंसारी द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मा0 न्यायालय द्वारा जारी केस संख्या 554/24 सम्बन्धित अपराध संख्या 71/24 धारा 34/323/504/506/308/307 भादवि व 3(1)द, 3(1) ध, 3 (2)5क SC/ST ACT से सम्बन्धित 01 वारंटी अभियुक्त अनन्तू राम पुत्र स्व0 ललई निवासी ईशीपुर ढेकाही थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. अनन्तू राम पुत्र स्व0 ललई निवासी ईशीपुर ढेकाही थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 इन्देश कुमार मय हमराह रि0का0 चन्दन कुमार व का0 अख्तर अंसारी थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 29.06.2026
थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त प्रदीप कुमार सोनकर को थाना क्षेत्रान्तर्गत बाईपास कटरा महकनी के पास से गिरफ्तार किया गया-

प्रतापगढ़ ।
थाना कोतवाली देहात पर वादी निवासी कटरा मेदनीगंज, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ की तहरीर के आधार पर सूचना प्राप्त हुई कि उनकी नाबालिक पुत्री दिनांक 16.06.2026 को घर से बिना बताए कहीं चली गई। परिजनों द्वारा रिश्तेदारी एवं अन्य संभावित स्थानों पर काफी खोजबीन की गई, किन्तु उसका कोई पता नहीं चल सका। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात में मु0अ0सं0 159/2026 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली देहात श्री पुष्पराज सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अवधेश सिंह मय हमराह उ0नि0 अभिषेक कुमार वर्मा व रि0का0 सूरज कुमार शर्मा द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी,

वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 159/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त प्रदीप कुमार सोनकर पुत्र शीतला प्रसाद सोनकर निवासी कंचाना थाना जायस जनपद अमेठी उम्र करीब 20 वर्ष को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत बाईपास कटरा महकनी के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. प्रदीप कुमार सोनकर पुत्र शीतला प्रसाद सोनकर निवासी कंचाना थाना जायस जनपद अमेठी उम्र करीब 20 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अवधेश सिंह मय हमराह उ0नि0 अभिषेक कुमार वर्मा व रि0का0 सूरज कुमार शर्मा थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 29.06.2026
थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना सांगीपुर के उ0नि0 आकाश शुक्ला मरा हमराह का० प्रदीप कुशवाहा द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर मा० श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ द्वारा निर्गत गैर जमानतीय वारण्ट सम्बन्धित मु०अ0सं0 06/19 धारा 138 एन0आई0 एक्ट (N.J. Act) से सम्बन्धित 01 वारंटी अभियुक्त संजय कुमार पुत्र राम सजीवन निवासी गोहानी थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. संजय कुमार पुत्र राम सजीवन निवासी गोहानी थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 आकाश शुक्ला मरा हमराह का० प्रदीप कुशवाहा थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक : 29.06.2026
थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़

थाना अंतू पुलिस की प्रभावी कार्यवाही, प्रतिबंधित वन्य जीव (कछुआ) के शिकार एवं तस्करी के प्रयास में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

04 प्रतिबंधित भारतीय देसी कछुए (Ganges Soft Shell Turtle) बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना अंतू पुलिस द्वारा प्रतिबंधित वन्य जीवों के शिकार एवं तस्करी के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 29.06.2026 को उप निरीक्षक जगदेव सिंह मय हमराह आरक्षी अवधेश यादव, अंकित यादव, कन्हैया विश्वकर्मा एवं आनंद कुमार क्षेत्र भ्रमण, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान जगदीशपुर गांव के पास रामनगर-भोजपुर मार्ग पर मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि रामनगर भोजपुर स्थित इनई का पुरवा जाने वाले मार्ग पर कुछ व्यक्ति तालाब से प्रतिबंधित कछुओं का शिकार कर उन्हें बेचने के उद्देश्य से ले जा रहे हैं।

सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर दबिश दी गई। पुलिस को देखकर चारों व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर मौके से पकड़ लिया गया। उनके कब्जे से एक प्लास्टिक की बाल्टी में पानी के साथ 04 प्रतिबंधित भारतीय देसी कछुए (Ganges Soft Shell Turtle) बरामद हुए।

सूचना पर मौके पर पहुंचे वन विभाग के क्षेत्रीय वन दरोगा परीक्षित मिश्र द्वारा बरामद कछुओं की पहचान भारतीय देसी कछुआ (Ganges Soft Shell Turtle) के रूप में की गई, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत संरक्षित प्रजाति है। बरामद कछुओं को नियमानुसार वन विभाग के सुपुर्द किया गया।

इस संबंध में थाना अंतू पर मु0अ0सं0 158/2026 धारा 9/39/48A/49B/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 बनाम 04 नामजद अभियुक्त पंजीकृत किया गया। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-
01. विश्वनाथ प्रताप सरोज पुत्र शिवमूरत सरोज, उम्र करीब 29 वर्ष,
02. मिथुन सरोज पुत्र रामपाल सरोज, उम्र करीब 33 वर्ष,
03. अशोक कुमार सरोज पुत्र रामसजीवन सरोज, उम्र करीब 30 वर्ष,
04. छोटेलाल सरोज पुत्र चंदिका प्रसाद सरोज, उम्र करीब 34 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम हंडौर, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
04 अदद प्रतिबंधित भारतीय देसी कछुए (Ganges Soft Shell Turtle)
01 अदद प्लास्टिक की बाल्टी

पुलिस टीम-
उ0नि0 जगदेव सिंह, आरक्षी अवधेश यादव, आरक्षी अंकित यादव, आरक्षी कन्हैया विश्वकर्मा, आरक्षी आनंद कुमार थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़